

बिहार सरकार
उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना।

सं०सं०-४/नि०स्था० (आरोप)-८/१०

शुद्धि-पत्र

उद्योग निदेशालय, के आदेश क्रमांक-४५००, दिनांक-१२.१२.१८ के द्वारा निर्गत आदेश के कंडिका-०३ को निम्नरूपेण संशोधित किया जाता है।

- | | | |
|-----|----------------------------|-------------|
| (१) | उद्योग मित्र, बिहार, पटना- | ५,०६,५५०.०० |
| (२) | श्री अशोक कुमार यादव- | ११,२७३.०० |
| (३) | श्री चंद्रिका प्रसाद- | ५४,९०५.०० |

कुल - ५,७२,७२८.००

२. उक्त आदेश की अन्य कंडिकाएँ यथावत् रहेंगी।

ह०/-

उद्योग निदेशक,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक-२१/१२/१८

सं०सं०-४/नि०स्था० (आरोप)-८/१०-४७०२

प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/उद्योग निदेशक के निजी सहायक/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, उद्योग मित्र, बिहार, पटना/संयुक्त उद्योग निदेशक, स्थापना प्रभारी/सहायक उद्योग निदेशक(लेखा)/आई०टी० प्रबंधक, उद्योग विभाग/श्री संजीव कुमार उच्चवर्गीय लिपिक उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना/श्री अशोक कुमार यादव, सेवानिवृत्त चालक एवं श्री चंद्रिका प्रसाद चालक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उद्योग निदेशक,
बिहार, पटना।

२१/१२